कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) जिला बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 12 अ–82/16–17 भू–अर्जन/1502 बैतूल दिनांक 12/2/2018

ईश्तहार

म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी क्रय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश की स्वीकृति से नगरपालिका परिषद् मुलताई को हरदोली जल अवर्धन योजना के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण हरदौली प.ह.न. 55 तहसील–मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए है:–

अ.क्र.	खसरा नं.	रकबा हे. में	आवेदक विभाग द्वारा क्रय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	4/1	0.144	0.144	सीताराम गणेश वल्द बीरबल जगोती बेवा बीरबल रामा वल्द झुम्मकलाल इमला पिता जगन्नाथ लक्ष्मी बेवा जगन्नाथ लक्ष्मण वल्द गेंदलाल रखिया बेवा गेंदलाल जिन्दालाल वल्द महपत भावजी वल्द महकू लडको बेवा महपत भावजी व मल्लू निवासी पारडसिंगा
2	6	0.409	0.409	मुकेश, उमेश वल्द ओमकार, सुनिता, ममता पिता ओमकार रतनलाल वल्द हीरालाल, रेखा पिता हीरालाल मेहरा सा. पारड़सिंगा
	9	2.068	1.150	
3	7	0.324	0.324	चैतराम वल्द शिवजी सुशोपी बेवा शिवजी रमेश, श्यामराव वल्द रोडक्या अजाबराव वल्द कैला सा0 पारडसिंगा
	8	3.230	1.450	
योग			3.477	

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम हरदोली तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की कुल 3.477 हे. भूमि आपसी क्रय नीति के अन्तर्गत क्रय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वंय या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 12-2-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

(शशांक मिश्र) 12/2
कलेक्टर
जिला बैतूल (म.प्र.)

पृ0क0 12 अ—82/वर्ष 16—17/भू—अर्जन 1502 बैतूल दिनांक 19/ 02/ 2018

प्रतिलिपिः—

1— संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईश्तहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र तथा एक स्थानीय स्तर के समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।

2— प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www. betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

3— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।

4— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

5-- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

6— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू—अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

7— मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद , मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईश्तहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8— सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत हरदोली तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईश्तहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,
बैतूल